राजस्थान विधान सभा के प्रबोधन कार्यक्रम में माननीय अध्यक्ष का संबोधन

(राजस्थान विधान सभा, जयपुर)

शौर्य, वीरता, आध्यात्मिक, जिस धरती का नाम पूरे विश्व में है, उस राजस्थान की धरती से अलग-अलग विधान सभा से चुन कर आए सभी माननीय विधायकों का मैं अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। आपको बहुत विश्वास से, भरोसे से जनता ने चुन कर यहां भेजा है और इस जिम्मेदारी के साथ भेजा है कि आप जनप्रतिनिधि के नाते अपने सांविधानिक दायित्वों को निभाएंगे एवं लोकतांत्रिक राज्य की विधायी संस्था में बैठ कर लोगों की अपेक्षाओं, आकांक्षाओं और उनके भरोसे को पूरा करेंगे।

मुझे आशा है कि आप सभी चुन कर यहां आए माननीय विधायक इस राज्य के कल्याण और समृद्धि के लिए सामूहिकता से काम करते हुए जो राजस्थान विधान सभा का गौरवशाली इतिहास, परंपरा रहा है, उसे भी कायम रखेंगे।

राजस्थान विधान सभा का इतिहास, उसकी समृद्ध परंपरा एवं परिपाटियां पूरे देश के राज्य विधान मंडलों को मार्गदर्शन देती हैं।

हम सभी का सौभाग्य है कि इस विधान मंडल से नेता के रूप में हमारे वरिष्ठ नेता माननीय उपराष्ट्रपति जी, जिन्होंने लंबे समय तक राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में, प्रतिपक्ष के रूप में काम किया है, उन्होंने इस विधान सभा की समृद्ध परंपरा कायम की। मोहन लाल सुखाड़िया और जय नारायण व्यास साहब हैं, सभी ने एक समृद्ध परंपरा कायम की है। हमारे विधान सभा अध्यक्षों ने भी यहां की परंपरा-परिपाटियां और नए इनोवेशंस करके इस विधान सभा की गौरवशाली परंपरा को बढ़ाने का काम किया है।

जब हम राजस्थान के इतिहास को देखते हैं, तो हम पाते हैं कि यहां पर राजाओं का राज हुआ करता था, उस समय भी लोकतांत्रिक प्रक्रिया हुआ करती थी। उस समय भी विधान सभा में कुछ निर्वाचित, कुछ मनोनीत सदस्य होते थे, जो उस राज्य के कल्याण के लिए काम करते थे। जब हम भारत के इतिहास को देखते हैं, तो भारत का इतिहास लोकतांत्रिक परंपरा और परिपाटियों से भरा हुआ है। हमारी जीवनशैली में लोकतंत्र रहा है।

इसलिए राजस्थान में विशेष रूप से लोकतंत्र और लोकतंत्र की विचारधारा, लोकतंत्र की कार्यशैली, ये हमारे विचारों में रही हैं, हमारी कार्यप्रणाली में रही हैं।

इस नाते आपका सौभाग्य है कि आपको राजस्थान विधान सभा का माननीय सदस्य होने का मौका मिला है। मुझे भी इस विधान सभा का सदस्य होने का मौका मिला है। यहां के अनुभव, यहां की कार्यप्रणाली, परंपरा एवं परिपाटियों का लाभ मुझे मिला है।

मैंने कोशिश की है कि देश की सर्वोच्च संस्था लोक सभा के अंदर हम अच्छी परंपरा, अच्छी परिपाटियां, जो मेरे पूर्वोत्तर माननीय अध्यक्षों ने इस लोकतंत्र के मंदिर में कायम किया है, मैंने उन्हीं का अनुसरण करके उन्हें आगे बढ़ाने का काम किया है। आज हम सब गौरवशाली हैं कि दुनिया के इतने बड़े देश में लोकतांत्रिक प्रणाली है।

हमारी चुनाव व्यवस्था है, जो कि निष्पक्ष, निर्बाध एवं पारदर्शी है। यह दुनिया को अचंभित करता है। जब पी-20 सम्मेलन में कई देशों के स्पीकर्स आए, तो माननीय प्रधान मंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी ने बताया कि किस तरीके से हमारे यहां पर चुनाव प्रबंध प्रणाली है। हमारे देश में 90 करोड़ मतदाता हैं। अनुमानित 70 करोड़ मतदाता मतदान करते हैं।

पंचायत से लेकर दिल्ली तक हमारी सभी संस्थाएं लोकतांत्रिक तरीके से चलती हैं, लोकतांत्रिक परंपराओं से चलती हैं तथा लोकतांत्रिक निर्णयों से चलती हैं।

इसी विधान सभा के अन्दर हम चर्चा, संवाद, विचार-विमर्श करते हैं। लोकतंत्र की ताकत सहमति-असहमति है। सबने इस राज्य के कल्याण का काम किया, समृद्धि का काम किया और देश में 75 सालों के अन्दर हमने इसी लोकतांत्रिक पद्धति से विचार-विमर्श, संवाद तथा चर्चा करके इस देश को आगे बढ़ाया है। आज इसी परंपरा से हम हमारी सभी लोकतांत्रिक संस्थाओं में कार्य कर रहे हैं।

चूँकि आप राज्य विधान मंडल के सदस्य हैं और राज्य की यह सर्वोच्च विधायी संस्था है, इसलिए हमारी जिम्मेवारी बन जाती है कि हम सदन में बैठकर अपने-अपने विधान सभा क्षेत्र के कल्याण की, विकास की, वहां के लोगों की आकांक्षा तथा अपेक्षाओं की बात करें। इसके साथ ही राज्य के विकास की, कल्याण की, उसकी समृद्धि की, राज्य के प्रमुख मुद्दों की, अभावों की तथा अभिव्यक्ति की बात भी करें।

मैं यह कह सकता हूँ कि देश की कई लोकतांत्रिक संस्थाओं का उदाहरण है कि इन्हीं संस्थाओं में बैठकर विधायक राज्य के नेता बने हैं, देश के नेता बने हैं। इन संस्थाओं के माध्यम से हम केवल एक क्षेत्र का प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं।

अगर विधायक केवल अपने क्षेत्र तक सीमित रहेगा, जैसा कि मैं लोक सभा में भी देख रहा हूँ और विधान सभा में भी यह परंपरा देख रहा हूँ कि धीरे-धीरे विधायक अपने विधान सभा क्षेत्र के दायरे तक और सांसद अपने लोक सभा क्षेत्र के दायरे तक ही बात करता है। आपको चुनकर तो एक विधान सभा में भेजा गया है, लेकिन कल्याण की जिम्मेदारी आपको पूरे राज्य की दी गई है। इसलिए आप राज्य विधान सभा के सदस्य हैं। इस नाते जब राज्य के प्रमुख मुद्दों पर चर्चा हो तो व्यापकता हो, विशालता हो। हम पूरे मुद्दे पर यह विचार करें कि राज्य का कल्याण कैसे हो सकता है। चाहे सत्ता हो या चाहे विपक्ष हो, आपस में हमारे बीच सहमति-असहमति हो सकती है, लेकिन अगर प्रतिपक्ष भी मुद्दा उठाता है और हमें लगता है कि इससे राज्य का कल्याण हो रहा है, यह सकारात्मक दिशा में है तो सरकार को भी उस मुद्दे को सकारात्मक तरीके से लेना चाहिए। अगर पूरे राज्य के अभावों, अभिव्यक्ति, मुद्दों की जानकारी तथा कष्टों की जानकारी किसी एक जगह से मिल सकती है तो वे राज्यों की विधान सभाओं से मिल सकती हैं।

आपको पूरे राज्य के बारे में, वहां हो रही घटनाओं के बारे में, वहां की परिस्थितियों के बारे में, वहां के लोगों के अभावों के बारे में तथा वहां की चिंताओं के बारे में वहां की विधान सभा के माध्यम से जानकारी मिलेगी। अगर सकारात्मक रूप से सरकार द्वारा उठाए गए इन सब मुद्दों को, चूँकि कुछ राजनीतिक मुद्दे राजनीतिक आधार पर हल होते हैं, कुछ मुद्दों पर हमें विरोध करना है, तो उसके आधार पर हल हो सकते हैं, लेकिन उनमें से कई मुद्दे ऐसे होते हैं, जिनके लिए हमें लगता है कि इन मुद्दों को सकारात्मक दिशा से लिया जा सकता है और इससे राज्य का कल्याण होगा तो उसके लिए भी हमें सोचना चाहिए।

दूसरा, मुझे लगता है कि विधायक, जो अपने-अपने क्षेत्र में नए इनोवेशन करते हैं, नए-नए काम करते हैं, जिससे आपने वहां के लोगों के जीवन में परिवर्तन करने का काम किया है, वहां पर सामाजिक तथा आर्थिक रूप से परिवर्तन करने का काम किया है, उसकी भी सदन में चर्चा होनी चाहिए।

मैं विधान सभा के अध्यक्ष जी से कहूंगा कि एक दिन सदन में यह चर्चा की जाए कि सभी विधायकों ने अपने-अपने विधान सभा क्षेत्र में कौन सी जन कल्याणकारी योजनाएं लागू की हैं और सामाजिक प्रयासों से

किस तरीके से समाज के अंतिम व्यक्ति के जीवन में परिवर्तन किया है जैसे सामाजिक परिवर्तन किया, आर्थिक परिवर्तन किया, महिलाओं का आर्थिक स्वावलंबन किया। आप लोगों ने गरीब व्यक्तियों के जीवन में परिवर्तन करने का काम किया। अगर हम उसकी चर्चा करेंगे, तो हमें एक-दूसरे के अनुभवों से सीखने का मौका मिलेगा। हमें लगेगा कि इस विधायक ने इनोवेशन करके ऐसा काम किया, जिससे इतना परिवर्तन कर दिया, तो मैं भी क्यों न करूँ, इस बात को भी एक दिन यहाँ पर रखने का प्रयास करना चाहिए, ताकि उसका अपेक्षित परिणाम यहाँ पर आए।

राज्य विधान मंडल का मुख्य काम कानून बनाना है। हम भी जब यहाँ किसी विधेयक को लाते थे, तो उस पर चर्चा होती थी, संवाद होता था। पहले हम नये-नये थे, कोई विधेयक आता था, तो हम देखते थे कि लोग कानून पर बोल रहे हैं। हम कई बार सोचते थे कि कानून इतना सा है और सारा परिप्रेक्ष्य ले लिया गया। हम कुछ दिनों तक सीखते रहे, यहाँ बैठकर अनुभव किया।

लेकिन धीरे-धीरे एक समय ऐसा भी आया, क्योंकि हमें लगता था, चूंकि विधान सभा और लोक सभा में कानून पर बोलने की अलग-अलग प्रक्रिया और परम्परा होती है। यहाँ एक श्रेष्ठ परम्परा है कि जो फर्स्ट में आएगा, वह पहले बोलेगा। हम हर कानून को, अगर कोई नया कानून बन रहा है, यह ठीक है कि हर कानून कभी-न-कभी बना होगा, लेकिन भारत की सरकार ने देश में पहली बार, आज़ादी के बाद कानूनों में परिवर्तन करने का काम किया।

इसी तरह से, यहाँ पर कोई कानून वर्ष 1860 का होगा, 1865 का होगा, 1904 का होगा, 1922 का होगा, जब उन कानूनों में कोई संशोधन लाएं, तो जब वे कानून बने थे, तब से लेकर अभी तक उन पर होने वाली डिबेट्स और चर्चाओं को हम देखें और पढ़ें, तो जब हम कानून पर डिबेट करेंगे, चर्चा करेंगे, तो मेरा दावा है कि आप विधान सभा के नहीं, बल्कि राज्य के नेता बनेंगे और लोग आपको सुनेंगे।

इसी विधान सभा के अन्दर, माननीय भैंरो सिंह जी, मोहनलाल सुखाड़िया जी जैसे लोग यहाँ बैठते थे। ये लोग दस-बारह घंटे तक लगातार सीटिंग करते थे।

मुझे याद है, चाहे राजेन्द्र राठौर जी को लें या गुलाब चंद कटारिया जी को लें, ये लोग लम्बे समय तक बैठते थे, ये विधान सभा छोड़कर कभी नहीं जाते थे। आज कल जब मैं देखता हूँ तो विधान सभा में केवल 20-25 लोग रहते हैं। आपको जनता ने बड़ी अपेक्षाओं के साथ चुनकर भेजा है। नये विधायक भी नहीं बैठते हैं।

पुराने विधायक तो फिर भी बैठते हैं, लेकिन नये विधायक नहीं बैठते हैं। जो बैठेगा, सुनेगा, जो अनुभव प्राप्त करेगा, वही तर्क से बात करेगा। हमारे कई साथी यहाँ पर बैठे हैं, जिनके साथ हमारा कम्पीटिशन रहता था। हम लोग पर्ची लगाने के लिए सुबह जल्दी भागते थे। इसलिए सवाल यह है कि अगर आप कानून बनाते समय तर्क से बात करेंगे, तार्किक रूप से बात करेंगे, तो जो कानून बनाने वाला, लेजिस्लेटिव वर्क करने वाला व्यक्ति है, वह भी कानून बनाते समय तीन बार चर्चा करेगा। वह सोचेगा कि मैं कानून बनाकर ले जा रहा हूँ, कुछ ऐसे विद्वान विधायक हैं, जो मेरे इस कानून की पुनर्समीक्षा करेंगे।

मुझे आशा है, चूंकि हर सरकार एक कल्याणकारी राज्य के लिए कानून लाती है, चाहे कोई भी सरकार हो, किसी भी दल की सरकार हो। लेकिन कानून बनाना, कानून के साथ रूल्स बनाना, उसके एक्जिक्युशन की बात होती है, तो न जनता को पता होता है, न विधायकों को पता होता है कि कौन-सा कानून बन गया, क्यों कानून बना, उसका इम्पैक्ट क्या होगा, प्रभाव क्या होगा। उसका बहुत लम्बा प्रभाव पड़ता है। इसलिए कानून बनाते समय, एक्ट बनाते समय और रूल्स बनाते समय भी हमें विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए। कानून बनाते समय आप जितनी सारगर्भित चर्चा करेंगे, उतने ही बेहतर परिणाम आएंगे, उतने ही कल्याणकारी कानून बनेंगे।

इसलिए मैं आपसे आग्रह करूँगा कि कानून बनाने के परिप्रेक्ष्य में, मैं माननीय अध्यक्ष जी से भी आग्रह करूँगा, हम भी इनको कुछ सलाह देंगे, कुछ सहयोग चाहिए होगा, तो हम सहयोग करेंगे। मैं कहना चाहता हूँ कि राज्यों के विधान सभाओं की जितनी भी डिबेट्स हैं, उनको हम एक लेजिस्लेटिव प्लेटफॉर्म पर ला दें।

भारत की संसद ने, राज्य विधान सभाओं की जितनी भी डिबेट्स हैं, चर्चाएं हैं, उनको एक प्लेटफॉर्म पर लाने का काम किया है। आप सारे राज्यों के बजट के डिबेट्स को हमारी लोक सभा की वेबसाइट पर देख सकते हैं।

आप जब कभी बजट पर चर्चा करेंगे तो किस-किस प्रदेश ने कौन-कौन सा बजट किसके लिए रखा है और कितना खर्चा हुआ है, इसी तरीके जितनी भी चर्चाएं हुई हैं, अभी तक जिन विषयों पर चर्चाएं हुई हैं, आप विषय डालेंगे तो आज तक, वर्ष 1952 से लेकर और उसके पहले का भी यदि यहां पर रिकॉर्ड होगा तो वहां तक की चर्चाएं मिल जाएंगी। उससे आपको पढ़ने में सुविधा होगी। उसमें उन मुद्दों पर भी और अकाल जैसी महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चाएं होंगी। मुझे लगता है उससे हम बेहतर तरीके से चर्चा कर पाएंगे।

इसी तरीके से बजट है। बजट पर विभागों के डिमांड पर चर्चा होती है। बजट के समय भी पहले के बजट का अनुभव, पहले के बजट का अनुमान, आज के बजट का अनुमान, वास्तविक अनुमान तथा आंकड़े, हमारे राव राजेन्द्र सिंह जी अभी विधान सभा में नहीं हैं, लेकिन जब वे बोलते थे, हम उनको सुनते थे। वे बहुत तैयारी के साथ आते थे। लोग उनको सुनते थे और समझते थे।

बजट पर डिबेट करते समय केवल मेरे क्षेत्र में यह स्कूल बनना चाहिए या कॉलेज बनना चाहिए, विधान सभाओं का जो स्तर है, आज वह इतना ही रहने लगा गया है। केवल अपने इलाके की बात होती है। बजट प्रदेश का होता है। आप प्रदेश के सदस्य हैं।

जब बजट पर चर्चा हो, तो हमें देखना चाहिए कि आज तक जो बजट लाये गए हैं, उनके क्या अनुमान थे, उन बजटों के क्या-क्या इम्पैक्ट थे, उनसे क्या-क्या कल्याण हुए और जिनके लिए बजट लाया गया था, उससे अंतिम व्यक्ति के आर्थिक-सामाजिक जीवन में क्या प्रभाव पड़ा? जब आप बजट पर उस तरह से चर्चा करेंगे, तो आप देख पाएंगे कि उस बजट से क्या परिवर्तन हुआ और इस बजट का लाभ मिला या नहीं।

कई बार बजट मार्च के अंत में खर्च किया जाता है। कई बार बजट मार्च के अंतिम सप्ताह में या अंतिम महीने में खर्च किया जाता है। इस परम्परा में परिवर्तन करने से लाभ तब मिलेगा, जब आप बजट पर, उस विभाग की अनुदान मांगो पर व्यापक चर्चा करेंगे।

मेरे पूर्ववर्ती माननीय सदस्यों ने बहुत गंभीरता से सभी मुद्दों पर आपके साथ चर्चा किया है। मेरा आपसे आग्रह है कि अब हमें नई टेक्नोलॉजी की ओर भी जाना चाहिए।

हमें कोशिश करना चाहिए कि 100 परसेंट क्वैश्चन्स ऑनलाइन लगे। विधान सभाएं पेपरलेस हों। आपके आने वाले समय में यह विधान सभा डिजिटल बने, ताकि यहां पर बैठकर एक अच्छा विद्वान, माननीय विधायक सब चीजों को पढ़कर बोल सके।

हम टेक्नोलॉजी का जितना उपयोग करेंगे, उतना ही बेहतर चर्चा और संवाद कर पाएंगे। चाहे वह प्रश्न काल हो, चाहे स्थगन का विषय हो, प्रमुख मुद्दों पर चर्चा हो या बजट हो, इन सारी चीजों के बारे में पहले तो विधान सभा के अंदर पेपर कटिंग ही मिलती थी। मुझे आशा है कि विधान सभा के नए अध्यक्ष इन सभी को डिजिटल कर देंगे।

आज घर बैठे ही इन सभी चीजों की मांग की जा रही है। आपको जिस विषय पर बोलना है, आपने बटन दबाया, उस सब्जेक्ट पर आपको आज तक की डिबेट, चर्चा और उससे संबंधित सारे विषय मिल जाएंगे। इससे आप और बेहतर चर्चा कर पाएंगे। इस विधान सभा का बहुत गौरवशाली इतिहास रहा है।

हमें सौभाग्य मिला है कि आप इस विधान सभा के सदस्य हैं। यहां की गौरवशाली परंपरा एवं परिपाटियाँ रही हैं।

यहां की डिबेट, चर्चा और वाद-विवाद के अंदर तीक्ष्ण बाण भी चलते थे, असहमति भी व्यक्त होती थी, विरोध भी होता था, लेकिन धीरे-धीरे इन लोकतांत्रिक संस्थाओं के अंदर कुछ ऐसी परंपराएं आने लगीं, जो बहुत अच्छी परंपरा नहीं है। मैं यहां भी विशेष रूप से कहूंगा कि महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण के समय हमारे सदन में कभी व्यवधान पैदा नहीं होता था। मैं राज्य की विधान सभाओं से यही आग्रह करूंगा कि हमारे राज्यपाल संवैधानिक पद पर है, इसलिए उनके अभिभाषण पर कोई गतिरोध पैदा नहीं होना चाहिए।

हमारी कोशिश होनी चाहिए कि हम अध्यक्ष जी से मिलें। अगर कुछ महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा करनी है, तो उसका विषय उठाएं। सदनों में गतिरोध से कोई लाभ नहीं मिलता और इससे बेहतर परिणाम भी नहीं मिलेगा। गतिरोध से हम जनता का कल्याण भी नहीं कर पाएंगे।

चाहे पक्ष हो या विपक्ष हो, हम सार्थक परिणाम तभी ला पाएंगे, जब हम सदनों में चर्चा/डिबेट करेंगे, मुद्दे उठाएंगे। ऐसा करके हम कार्यपालिका में पारदर्शिता भी ला पाएंगे, कार्यपालिका के एग्जीक्यूशन के अंदर भी बेहतर कर पाएंगे और शासन के अंदर सरकार में भी पारदर्शिता और जवाबदेही तय कर पाएंगे। सदन चर्चा/मुद्दों/विषयों पर संवाद के लिए है। इस सदन में हमने वर्षों तक लोकतंत्र पर चर्चा/संवाद से, सहमति से, असहमति से राज्य एवं देश के अंदर जो कुछ भी परिवर्तन किया है, यह इसी लोकतांत्रिक प्रक्रिया से किया है।

लोकतंत्र ही शासन चलाने की सर्वश्रेष्ठ पद्धति है। दुनिया में हमने यह साबित किया है। आज हम कह सकते हैं कि हमारा संविधान सर्वश्रेष्ठ है। संसद की डिबेट में हम बहुत परिपक्व और बहुत अनुभवी नेताओं को सुनते हैं तो पाते हैं कि उन्होंने संसद की पूरी डिबेट, संविधान की पूरी डिबेट के एक-एक शब्द को उन्होंने पढ़ा है।

सदन में संविधान की एक-एक धारा पर कितनी भी लंबी चर्चा हुई हो, बहुत देर तक चर्चा हुई थी, उस समय भी ऐसा नहीं था कि कोई सहमति थी, हर विषय पर सहमति, असहमति होती थी, लेकिन सहमति, असहमति करते-करते हमने एक बेहतर संविधान बनाया है, जो आज हम सबका मार्गदर्शन करता है। आवश्यकता होने पर हमने उसमें परिवर्तन भी किया है। इसलिए मुझे आशा है कि राज्य विधान सभा के अंदर भी ऐसा ही होगा। हम यहाँ चुनकर आए हैं, सत्ता पक्ष हो चाहे प्रतिपक्ष हो।

यह हमारे लोकतंत्र की एक अच्छी परम्परा है कि हम दोनों पक्ष मिलकर राज्य के महत्वपूर्ण हितों पर, जनता के बुनियादी सवालों पर, किस तरीके से हम मिलकर इस राज्य को समृद्धशाली, गौरवशाली और अच्छी परम्पराओं के साथ इस राज्य को आर्थिक और सामाजिक परिवर्तन में सबसे अग्रणी रूप से ले जाएं।

हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी को भी एक लंबा संगठन का अनुभव है, उन्हें लंबी कार्यप्रणाली का अनुभव है, इसका लाभ निश्चित रूप से राज्य को मिलेगा। हमारे विधान सभा अध्यक्ष जी लंबे समय तक विधायक रहे हैं, जिन्होंने मंत्री के रूप में भी काम किया है, मुझे लगता है कि उनके अनुभव का लाभ इस संवैधानिक संस्था को मिलेगा। इस संवैधानिक संस्था में वे नई परम्पराओं, नई परिपाटियों, श्रेष्ठ परम्पराओं को कायम रखकर सबको अधिकतम समय बोलने का अवसर देंगे। आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाईयां।